न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला–दौसा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सीमा मीना, आर.जे.एस.

नम्बरी फौजदारी प्रकरण संख्या :–142/2016 (सीआईएस नं. 1776/20)

सी.एन.आर.संख्या :– RJDS120005242016

राजस्थान राज्य –अभियोजन

बनाम

फूल सिंह पुत्र मवासीराम निवासी सुल्तानपुरा थाना सलैमपुर जिला दौसा

–अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम

उपस्थित :–

01– सहायक अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज्य।

02– श्री गिरधर सिंह अधिवक्ता, वास्ते अभियुक्त।

निर्णय **दिनांकः 16.07.2026**

1. यह आरोप पत्र थानाधिकारी, पुलिस थाना सलैमपुर की ओर से जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी, अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.05.2016 को समय 6:30 ए.एम पर जरिये मुखवीर सूचना मिली की एक व्यक्ति प्लास्टिक के कटटे में शराब के पब्बे भरकर नाहिडा मोड पर खडा है। आमदा इत्तिला पर मन ए.एस.आई सुरेशचंद, आरक्षी रवीन्द्र 766, मोतीलाल 695 मय जीप सरकारी के नाहिडा मोड पहुंचा तो एक व्यक्ति बाबर्दी पुलिस को देखकर भागने लगा जिसको हमराहीयान मुलजिमान की मदद से पकडा जिसका नाम पता पूछा तो अपना नाम फूलसिंह पुत्र मवासी जाति जाटव उम्र 42 साल निवासी सुल्तानपुरा होना बताया जिसके कब्जे से प्लास्टिक के थैले को चैक किया तो 55 पब्बे प्लास्टिक के देशी सादा मदिरा के मिले। प्रत्येक पब्बे पर घूघरू देशी सादा मदिरा का लेबिल लगा हुआ है। शक्स उपरोक्त से देशी सादा मदिरा अपने कब्जे में रखने बाबत लाईसेन्स अनुज्ञापत्र के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। शक्स उपरोक्त का उक्त कृत्य धारा 19/54 एक्साईज एक्ट की नोहत में पाये जाने पर 55 पब्बे देशी सादा मदिरा को कब्जा पुलिस लिया जाकर जरिये फर्द जब्ती की गई जिसमें से एक पब्बा बतौर सैम्पल लिया जाकर शील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया गया तथा शेष 54 पब्बे देशी सादा मदिरा के पब्बे उसी प्लास्टिक के कटटे में शील्ड मौहर कर मार्का बी अंकित किया गया। मुलजिम फूलसिंह पुत्र मवासी जाति जाटव उम्र 42 साल निवासी सुल्तानपुरा को जरिये फर्द गिरफतार किया गया नाहिडा मोड से रवाना होकर मय जब्तशुदा शराब मय गिरफतार शुदा मुलजिम के हाजिर थाना आया.....आदि पर मुकदमा नंबर 61/13 अन्तर्गत धारा 19/54

राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धारा में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को धारा–19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन की ओर से मामले के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह पी0ड0–01 सुरेशचंद, पी0ड0–02 समयसिंह, पी0ड0–3 उदलसिंह, पी0ड0–4 मोतीलाल, पी0ड0–5 रविन्द्रसिंह, पी0ड0–06 लल्लूप्रसाद, पी0ड0–7 मानसिंह के बयान लेखबद्ध करवाए गये एवं प्रलेखीय साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श पी–01 लगायत 09 प्रदर्शित करवाया गया तथा साक्ष्य अभियोजन समाप्त की।

5. अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया और साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा एवं कथन किया कि झूठा मुकदमा किया है।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क रखा कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जावे।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष ने दौराने बहस तर्क रखा कि प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, सभी पुलिसकर्मी गवाह हैं। जब्तशुदा माल अभियुक्त के वास्तविक कब्जे में था या नहीं, यह भी अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया है। अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। पत्रावली पर आई साक्ष्य से भी अभियोजन अभियुक्त पर आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इत्यादि कथन करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु विनिश्चित किया जाता हैः–

1. क्या दिनांक 16.05.2016 को समय 7:10 ए.एम. मौजा नाहिडा मोड जलालपुर पर एक प्लास्टिक के थैले में से 55 पव्वे देशी मदिरा सादा के आपके अनन्य एवं चैतन्य कब्जे से बरामद हुये जिनको अपने कब्जे में रखने बाबत आपके पास कोई वैद्य लाईसेंस/अनुज्ञापत्र नहीं पाया गया ?

2. यदि हां तो दण्डोदश ?

9. प्रकरण में तहरीरी रिपोर्ट सुरेशचंद एएसआई के द्वारा दर्ज करवाई गई है उसके मुताबिक घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ए.एस.आई सुरेशचंद, आरक्षी रवीन्द्र 766, मोतीलाल 695

हैं। परिवादी सुरेशचंद एएसआई प्रकरण में पीडब्लू 1 के रूप में परीक्षित हुआ है ने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 16.05.2016 को मैं थाना सलैमपुर पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन समय करीब 6:30 ए.एम पर जरिये मुखबीर सूचना मिली की एक व्यक्ति प्लास्टिक के कटटे में शराब के पव्वे भरकर नाहिडा मोड पर खडा है। उक्त इत्तला पर मैं , कानि रविन्द्र, मोतीलाल मय जीप सरकारी चालक के नाहिडा मोड पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति प्लास्टिक का कटटा लिये हुये खडा था जो बाबर्दी पुलिस जाब्ते को देखकर भागा जिसको हमराही जाब्ते की मदद से पकडा उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम फूलसिंह उर्फ मवासी जाति जाटव निवासी सुल्तानपुरा बताया जिससे उसके कब्जे से प्लास्टिक के कटटे को चैक किया तो उसमें शदा देशी शराब के पव्वे भरे हुये थे आस पास स्वतंत्र गवाहान को तलाश किया तो कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ तो हमराई जाब्ते में कानि. मोतीलाल व रविन्द्र को गवाह मामूर कर प्लास्टिक के कटटे में रखे शराब के पव्वे गिने तो उसमें 55 पव्वे प्लास्टिक के देशी सादा शराब के मिले जिन पर घूघरू देशी सादा मदिरा का लेवल लगा हुआ मिला। मुलजिम फूलसिंह से उक्त शराब के रखने व बेचने का लाईसेन्स व अनुज्ञापत्र पूछा तो नहीं होना बताया। इस उक्त 55 पव्वे देशी मदिरा के कब्जा पुलिस लेकर उनमें से एक पब्बा बतौर सैम्पल निकालकर शील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया तथा शेष 54 पव्वों को उसी कटटे में रखकर शील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया तथा मुलजिम को जरिये फर्द गिरफतार किया। मौके से जब्तशुदा शराब मय मुलजिम के रवाना होकर थाना आये और मुलजिम को बंद हवालात कराया तथा जब्तशुदा शराब को जमा मालखाना कराया। घटना की तहरीर थाने पर दी जो प्रदर्श पी 01 है चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 03 है। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 04 है। नकल रपट प्रदर्श पी 05 है। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 06 एवं असल प्रदर्श पी 06ए है। **दौराने जिरह साक्ष्य दी है कि** जब्तशुदा माल आज हाजिर अदालत नही है। प्रदर्श पी 03 व 04 पर गवाह मेरे मातहत कर्मचारी हैं। सम्पूर्ण पत्रावली पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं हैं। जिस जगह से माल जब्त किया था वह खाली जगह है लेकिन आसपास दुकानें व थडी वगैरा हैं। कटटे की पैकिंग सील मोहर नहीं हैं। जब्त माल में से 23 पव्वे खाली हैं शेष 23 पव्वे आधे भरे हैं व शेष 09 पव्वों के बारे में मालखाना इंचार्ज बतायेंगे।

10. पीडब्लू 2 समयसिंह ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 16.05.2016 को मैं एचएम मालखाना सलैमपुर के पद पर तैनात था उस दिन सुरेश एएसआई ने एक सील पैकेट पब्बा एवं 55 पव्वे देशी शराब एक कार्टून सील हालत में पेश किया जिसे मैंने मालखाना रजिस्टर के नं. 17/237 पर जमा कर इंद्राज किया। नकल मालखाना प्रदर्श पी 06 है जिस पर सी से डी मेरी लिखावट है। **दौराने जिरह साक्ष्य दी है कि** प्रदर्श पी 06 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं।

11. पीडब्लू 3 उदलसिंह ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 16.05.2016 को मैं एफ.सी सलैमपुर पर तैनात था। उस दिन एचएम मालखाना द्वारा एक सीलशुदा पब्बा दिनांक 01.06.2016

एफ.एस.एल में जमा कराने हेतु दिया जिसे जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो प्रदर्श पी 07 है जिसे थाने पर लाकर पेश किया। **दौराने जिरह साक्ष्य दी है कि** रपट रवानगी पत्रावली में शामिल है। यह कहना गलत है कि पव्वा शील्डशुदा नहीं था।

12. पीडब्लू 4 मोतीलाल ने साक्ष्य दी है कि मैं दिनांक 16.05.2016 को पुलिस थाना सलैमपुर में कानि. के पद पर तैनात था उस दिन सुरेश एएसआई के साथ किसी सूचना पर नाहिडा मोड पहुंचे जहां एक व्यक्ति बाबर्दी पुलिस जाब्ते को देखकर भागने लगा जिसे हम बाबर्दी पुलिस ने घेरा देकर पकडा नाम पता पूछा तो अपना नाम फूलसिंह जाटव सुल्तानपुरा का होना बताया जिसके पास एक प्लास्टिक का कटटा था जिसे चैक करने के लिए सुरेश ने गवाह ढूंढे पर नहीं मिले। जिस पर मुझे व रविन्द्र को गवाह मामूर कर फूलसिंह के कब्जे से मिले कटटे को चैक किया तो 55 पव्वे देशी शराब के मिले जिन्हें कब्जे में रखने का लाइसेंस पूछा तो नहीं होना बताया, इस पर एएसआई साहब ने एक पब्बे को अलग निकालकर सील मोहर किया व शेष 54 पव्वों को उसी कटटे में सील मोहर किया। फर्द जब्ती व गिरफतारी बनाई जो प्रदर्श पी 03 व 04 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह साक्ष्य दी है कि** दिनांक 16.05.2016 को हम 07 बजे मौके पर पहुंचे थे। मुलजिम हमें देखकर 02–04 मीटर तक भागा उसके बाद हमने उसे पकड लिया। हमने जीप फूलसिंह जहां शराब बेच रहा था वहीं नाहिडा मोड पर रोकी थी। हमने पहले फूलसिंह को पकडा था। फूलसिंह कट्टे को छोडकर भाग गया था। कटटे को सबसे पहले एएसआई साहब ने देखा था। एएसआई साहब ने कटटे में से पव्वा निकालकर गिनती की थी। हम घटनास्थल पर करीब आधा घंटे रूके थे। वहां पर दुकानें व घर बने हुये हैं व सवारी खडी रहती हैं।

13. पीडब्लू 5 रविन्द्र सिंह ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 16.05.2016 को मैं थाना सलैमपुर में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन सुरेश एएसआई के साथ किसी सूचना पर नाहिडा मोड पहुंचे जहां एक व्यक्ति बाबर्दी पुलिस जाब्ते को देखकर भागने लगा जिसे हम बाबर्दी पुलिस ने घेरा देकर पकडा। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम फूलसिंह निवासी सुल्तानपुरा होना बताया जिसके पास एक प्लास्टिक का कटटा था जिसे चैक करने के लिये स्वतंत्र गवाह नही मिले जिस पर रविन्द्र को गवाह मामूर कर फूलसिंह के कब्जे से मिले कटटों को चैक किया तो 55 पव्वे देशी शराब के मिले जिन्हें कब्जे में लिया और लाईसेंस पूछा तो नहीं होना बताया। इस पर एएसआई साहब ने एक पव्वे को अलग से निकालकर सील मोहर किया व शेष 54 पव्वें की उसी कटटे मे सील मोहर किया। फर्द जब्ती बनाई जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है तथा फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 04 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 08 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। **दौराने जिरह साक्ष्य दी है कि** हम जीप में कुल चार लोग थे। सुरेशचंद एएसआई, मोतीलाल कानि. 695, चालक और मैं स्वयं थे। मुलजिम को सबसे पहले मैंने और मोतीलाल ने पकडा था। मुलजिम हमें देखकर करीब 50–60 मीटर भाग गया

था। घटनास्थल के पास शराब का ठेका था।

14. पीडब्लू 6 लल्लू प्रसाद ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.05.2016 को मैं थाना सलैमपुर पर हैड कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नं. 61/2016 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम की तफतीश मानसिंह हैड कानि. 25 का स्थानांतरण होने के कारण मुझे सुपुर्द की गई। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका गवाह रविन्द्र व मोतीलाल की उपस्थिति में तैयार किया जो प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। गवाह उदलसिंह के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किये । मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति एफएसएल जो प्रदर्श पी 06 व 07 है एवं रोजनामचा रवानगी व वापसी की रपट प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी मरे हस्ताक्षर है। अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड प्रदर्श पी 09 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मुलजिम फूलसिंह को गिरफतार कर फर्द गिरफतारी एएसआई सुरेश ने तैयार की जो प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी सुरेश के हस्ताक्षर सी से डी धीरज के हस्ताक्षर व ई से एफ धर्मेन्द्र व जी से एच फूलसिंह के हस्ताक्षर है। उपरोक्त समस्त अनुसंधान से मुलजिम फूलसिंह के विरूद्ध 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम के तहत जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली थानाधिकारी जगदीश प्रसाद को सुपुर्द की जिन्होंने चार्जशीट न्यायालय में पेश की जो प्रदर्श पी 11 है जिस पर प्रस्तेक पृष्ठ पर ए से बी थानाधिकारी जगदीश के हस्ताक्षर है। **दौराने जिरह साक्ष्य दी है कि** मैंने उदलसिंह के अलावा अन्य किसी गवाह के बयान नहीं लिये थे।

15. पीडब्लू 7 मानसिंह ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 16.05.2016 को थाना सलैमपुर पर हैड कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन सुरेश एएसआई की तहरीर पर मुकदमा संख्या 61/2016 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट की तफ्तीश आई.सी थाना ओमप्रकाश शर्मा के द्वारा मुझे सुपुर्द की गई। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 पर सी से डी एस.एच.ओ आई.सी थाना ओमप्रकाश के हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका गवाह रविन्द्र व मोतीलाल की उपस्थिति में तैयार किया जो प्रदर्शपी 08 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। एफआईआर के साथ फर्द जब्ती व फर्द गिरफतारी क्रमशः प्रदर्श पी 03 व प्रदर्श पी 04 प्राप्त हुई। गवाह सुरेशचंद एएसआई, कानि. मोतीलाल, रविन्द्र के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 06 है, एफ.एस.एल जमा रसीद प्रदर्श पी 08, रोजनामचा प्रदर्श पी 05, आपराधिक रिकॉर्ड फूलसिंह प्रदर्श पी 09 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये। उपरोक्त समस्त अनुसंधान से मुलजिम फूलसिंह के विरूद्ध धारा 19/54 एक्साईज एक्ट का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली एसएचओ साहब को पेश की जिन्होंने चालान न्यायालय में पेश किया। आपको क्या कहना है ?प्रश्नः— पीडब्लू 1 सुरेशचंद एएसआई ने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 16.05.2016 को मैं थाना सलैपमरु पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन समय करीब 6:30 ए.एम पर जरिये मुखबीर सूचना मिली की एक व्यक्ति प्लास्टिक के कटटे में शराब के पव्वे भरकर नाहिडा मोड पर खडा है। उक्त इत्तला पर मैं , कानि रविन्द्र,

मोतीलाल मय जीप सरकारी चालक के नाहिडा मोड पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति प्लास्टिक का कटटा लिये हुये खडा था जो बाबर्दी पुलिस जाब्ते को देखकर भागा जिसको हमराही जाब्ते की मदद से पकडा उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम फूलसिंह उर्फ मवासी जाति जाटव निवासी सुल्तानपुरा बताया जिससे उसके कब्जे से प्लास्टिक के कटटे को चैक किया तो उसमें शदा देशी शराब के पव्वे भरे हुये थे आस पास स्वतंत्र गवाहान को तलाश किया तो कोई स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ तो हमराई जाब्ते में कानि. मोतीलाल व रविन्द्र को गवाह मामूर कर प्लास्टिक के कटटे में रखे शराब के पव्वे गिने तो उसमें 55 पव्वे प्लास्टिक के देशी सादा शराब के मिले जिन पर घूघरू देशी सादा मदिरा का लेवल लगा हुआ मिला। मुलजिम फूलसिंह से उक्त शराब के रखने व बेचने का लाईसेन्स व अनुज्ञापत्र पूछा तो नहीं होना बताया। इस उक्त 55 पव्वे देशी मदिरा के कब्जा पुलिस लेकर उनमें से एक पब्बा बतौर सैम्पल निकालकर शील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया तथा शेष 54 पव्वों को उसी कटटे में रखकर शील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया तथा मुलजिम को जरिये फर्द गिरफतार किया। मौके से जब्तशुदा शराब मय मुलजिम के रवाना होकर थाना आये और मुलजिम को बंद हवालात कराया तथा जब्तशुदा शराब को जमा मालखाना कराया। घटना की तहरीर थाने पर दी जो प्रदर्श पी 01 है चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 03 है। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 04 है। नकल रपट प्रदर्श पी 05 है। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 06 एवं असल प्रदर्श पी 06ए है।

16. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में पुलिस थाना सलैमपुर के द्वारा अभियुक्त फूलसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त फूलसिंह के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध का आरोप है, जिसमें अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किये जाने हेतु यह अनिवार्य है कि अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को संदेह से परे सा. बित करे कि वक्त घटना दिनांक 16.05.2016 को समय 7:10 ए.एम. या इसके लगभग ना. हिडा मोड तन जलालपुर में अभियुक्त के चैतन्य आधिपत्य से 55 पव्वे देशी शराब के भरे हुए बरामद किये गये, जिनको अपने कब्जे में रखने बाबत् अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नहीं था। उक्त तथ्य को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसका अवलोकन करने से पूर्व संबंधित विधि का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसी संबंध में यदि धारा 19 राजस्थान आबकारी अधिनियम का अध्ययन किया जाये तो उक्त धारा में यह विधि निहित है कि ''कोई भी व्यक्ति जो किसी आबकारी योग्य वस्तु का विनिर्माण, उगाने, संग्रहण या विक्रय के लिए अनुज्ञप्तिकृत नहीं हो, के पास उसके आधिपत्य में, आबकारी आयुक्त द्वारा या उस निमित्त सम्यक रूप से सषक्त आबकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त परमिट के अधीन के अतिरिक्त ऐसी मात्रा के आधिपत्य में, जिसे राज्य सरकार धारा 5 के अधीन खुदरा विक्रय

की सीमा के रूप में घोषित करे, ऐसी वस्तु की किसी मात्रा को नहीं रखेगा व ना ही कोई अनुज्ञप्त विक्रेता, अपने स्वामित्व में उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत से अन्यथा किसी स्थान पर, आबकारी आयुक्त या इस निमित्त सम्यक रूप से सषक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्त किए परमिट के अधीन के सिवाय, ऐसी मात्रा से अधिक, जैसी कि राज्य सरकार ने धारा 5 के अधीन खुदरा बिक्री की सीमा होना घोषित किया है, किसी आबकारी योग्य वस्तु की मात्रा नहीं रखेगा।''

17. इसी संबंध में धारा 54– राजस्थान आबकारी अधिनियम यह कहती है कि – ''जो कोई भी इस अधिनियम या किसी नियम या निर्मित आदेष या उसके अधीन प्रदान किसी अनुज्ञप्ति, परमिट या पास के उल्लंघन में–(क) किसी आबकारी योग्य वस्तु का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय, कब्जा तथा (ख) से (छ) तक उल्लेखित कृत्य कारित करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी, लेकिन जो तीन वर्ष तक हो सकेगी, और बीस हजार रूपये के जुर्माने से या आबकारी शुल्क की हानि के पांच गुने जुर्माने से जो भी उच्चतर हो, दण्डनीय होगा। परंतु इस धारा के खण्ड (क) के अधीन अपराध का पता लगने के समय या उसकी कार्यवाही में पायी गयी शराब की मात्रा पच्चास बल्क लीटर से अधिक हो तो ऐसे अपराध के लिए दोषी व्यक्ति कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो पांच वर्ष तक हो सकेगी और बीस हजार रूपये के जुर्माने से या आबकारी शुल्क की हानि के दस गुने के जुर्माने से जो उच्चतर हो, दण्डनीय होगा।''

18. उक्त विधि से मार्गदर्शन प्राप्त कर अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, उसका यदि विवेचन, विश्लेषण व मुल्यांकन किया जावें तो यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में आरोप विरूद्ध अभियुक्त को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष के द्वारा न्यायालय के समक्ष कुल 07 गवाहान को परीक्षित कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त गवाहों के द्वारा अभियोजन कहानी कि ताईद की जाकर वक्त घटना अभियुक्त के कब्जे से अवैध शराब बरामद किये जाने कि पुष्टि की गई है तथा जरिये मुखबिर सूचना अभियुक्त के कब्जे प्लास्टिक के कटटे में से 55 पव्वे देशी शराब बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र के जप्त किये जाने के कथन किये गये है। हस्तगत प्रक. रण में गवाह पी.ड.1 सुरेशचंद, पी.ड.4 मोतीलाल व पी.ड.5 रविन्द्र के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि जब वे दिनांक 16.05.2016 को जाब्ते के साथ जरिये मुखबिर सूचना मिलने पर नाहिडा मोड तन जलालपुर में अभियुक्त के कब्जेशुदा प्लास्टिक के कटटे में से 55 पव्वे देशी सादा शराब बिना अनुज्ञापत्र की बरामद की गयी थी। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत गवाह पी.ड. 3 उदलसिंह ने बतौर सेम्पल वाहक के रूप में कथन कर प्रकरण में जप्तशुदा शराब के सेम्पल को सीलशुदा अवस्था में मालखाना इंचार्ज से प्राप्त कर रासायनिक प्रयोगशाला, जयपुर में जमा करवा प्राप्ति रसीद को लाकर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द किये जाने के कथन किये गये। अभियोजन पक्ष के द्वारा पत्रावली पर जब्तशुदा सेम्पल

की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–7 है। अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.ड. 7 मानसिंह ने अपनी जिरह में कथन किया कि प्रयोगशाला में जांच हेतु उसने सेम्पल दिनांक 1.06.2016 को भेजा था। यह बात सही है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है और उसमें क्या रिपोर्ट आई थी उसे पता नहीं है। यद्यपि एफ.एस.एल. रिपोर्ट अभियोजन की ओर से बयान मुलजिम स्तर के पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें उक्त सेम्पल में, बाद जांच एथिल एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 50.47 प्रतिशत पाये जाने का अंकन किया गया है, जिससे अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत समग्र साक्ष्य से प्रकरण में कड़ी से कड़ी जुड़ अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होता है।

19. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा दौराने बहस यह कथन किया है कि पुलिसकर्मियों द्वारा वक्त कार्यवाही किसी भी स्वतंत्र गवाह को हस्तगत प्रकरण में गवाह नहीं बनाया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त से माल की कोई बरामदगी नहीं हुई, ना ही सम्पूर्ण माल सील अवस्था में बरामदशुदा माल न्यायालय में पेश हुआ है। अभियुक्त को झूंठा फसाया है।

20. सुना गया। न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया जाकर विचार किया गया। उक्त तर्को के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो यह प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा अपराध विरूद्ध अभियुक्त फूलसिंह पर साबित करने हेतु जो मुख्य गवाह जिनमें एफआईआरकर्ता के साथ चश्मदीद गवाह हो जो मौके पर उपस्थित होना बताये जाते हैं, उक्त समस्त गवाहों के द्वारा अभियोजन कहानी की ताईद की जाकर स्पष्ट रूप से कथन किये जाकर घटना की पुष्टि करना जाहिर किया है। परन्तु पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य में यदि हम गवाह पी.ड.1 के बयानों को देखे तो वह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि प्रकरण में जप्तशुदा माल को न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो उसमें 54 पव्वे थे, एक पव्वा पहले से सेम्पल निकाल लिया गया। उक्त गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि कट्टे की पैकिंग सील मोहर नहीं है। जप्तशुदा माल में से 23 पव्वे खाली है, शेष 23 पव्वे आधे भरे है। इनके अलावा इस कट्टे में और पव्वे नहीं है। साथ ही इसी तथ्य को स्वीकारा है कि उन्होंने 55 पव्वे जप्त किए थे। शेष बचे 9 पव्वे के बारे में मालखाना बताएगा। वही हम यदि गवाह पी.ड.2 जो कि प्रकरण में मालखाना इन्चार्ज है उसके बयानों का अवलोकन करें तो वह मुख्य परीक्षा में यदि मालखाना प्रदर्श पी–6 पर सी से डी उसकी लिखावट बताता है, लेकिन जिरह में प्रदर्श पी–6 पर उसके हस्ताक्षर नहीं होने का कथन करता है। ऐसे में न्यायालय के समक्ष जो स्थिति आई है उसके अनुसार जप्त हुए माल न्यायालय के समक्ष सीलशुदा अवस्था में पेश नहीं हुआ, ना ही सम्पूर्ण माल पेश हुआ जो कि जप्तशुदा मालखाना अधिकारी की इस स्वीकारोक्ति कि उसने मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–6 पर हस्ताक्षर नहीं किए है, से Chain of Custody पर सन्देह प्रकट करती है। इस तरह का आचरण पुलिस की कार्यवाही पर उनका कर्तव्यों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है, जिसका लाभ प्रकरण के अभियुक्त को प्राप्त होता है, क्योंकि इस प्रकार की त्रुटि से जप्ती पूर्ण रूप से साबित नहीं होती है।

21. अतः उपरोक्त विवेचन से इस न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950, का आरोप सन्देह से परे प्रमा. णित करने में असफल रहा है, लिहाजा अभियुक्त को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के आरोप में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

22. अभियुक्त फूल सिंह पुत्र मवासीराम निवासी सुल्तानपुरा थाना सलैमपुर जिला दौसा को धारा 19/54 राज. आबकारी अधिनियम, 1950 के अपराध के आरोप में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

23. अभियुक्त जमानत पर है जिसकी उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत नियमित जमानत मुचलका निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा शराब को बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निस्तारण बाबत् जिला आबकारी विभाग, दौसा को सुपुर्द किया जावें।

(सीमा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा

24. यह निर्णय आज दिनांक 16.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(सीमा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा, जिला दौसा